भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1443
09.02.2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान

1443. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :
श्रीमती कमलेश जांगड़े :
श्री दिलीप शइकीया :
श्री दामोदर अग्रवाल :
डॉ. मन्ना लाल रावत :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :
श्री दिनेशभाई मकवाणा :
श्री लुम्बाराम चौधरी :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री खगेन मुर्मु :
श्री जनार्दन मिश्रा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलवायु वित्त, अनुकूलन और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के कार्यान्वयन के संबंध में सीओपी 30 में भारत द्वारा व्यक्त किए गए प्रमुख दृष्टिकोण क्या हैं;

(ख) जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रतिबद्धताओं के वितरण पर विकसित देशों और बहुपक्षीय संस्थानों के साथ भारत के जुड़ाव के परिणाम क्या रहे हैं;

(ग) भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के समन्वय, निगरानी और कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिए 'प्राकृतिक संसाधनों के अनुसंधान और अनुप्रयोग हेतु राष्ट्रीय संस्थान' (निरंतर) पोर्टल जैसे घरेलू संस्थागत तंत्रों का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(घ) भारत के जलवायु कूटनीति परिणामों को राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई योग्य नीतियों और कार्यक्रमों में बदलने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) सीओपी-30 में, भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) और उसके पेरिस समझौते विशेष रूप से सामान्य लेकिन भिन्न जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं, समानताओं और विकासशील देशों को इसे कार्यान्वित किए जाने हेतु साधन उपलब्ध करवाए जाने के प्रावधानों और सिद्धांतों को दोहराया। भारत ने वैश्विक दक्षिण के हित में पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के कार्यान्वयन पर स्थायी कार्यसूची मदें तैयार करने का आह्वान किया। यह अनुच्छेद स्पष्ट रूप से विकसित देशों पर विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध करने का यह दायित्व सौंपता है। भारत ने अनुकूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त को दोगुना करने की प्रतिबद्धताओं में पाए गए अंतर प्रमुखता से दिखाते हुए, अनुकूलन के लिए सार्वजनिक वित्त प्रवाह के संवर्धन और सुदृढीकरण करने का आह्वान किया। वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य के संदर्भ में, भारत ने विकासशील देशों के हितों में परिणामों के आह्वान का समर्थन किया, जिसमें किसी अतिरिक्त बोझ की रिपोर्टिंग के बिना तथा विकासशील देशों को उनकी राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन प्रदान करते हुए न्यूनतम संकेतकों का पैकेज शामिल है।

भारत ने विकसित देशों से अधिक से अधिक जलवायु महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करने और अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आह्वान किया। यह रेखांकित किया गया कि संवर्धित महत्वाकांक्षा जलवायु-वित्त के लिए प्रमुख अवरोध बना हुआ है। इस बात पर जोर दिया गया कि विकसित देश अपने निवल शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की वर्तमान लक्ष्य तारीख की तुलना में और विकासशील देशों की जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए नई, अतिरिक्त और अनुदान-आधारित जलवायु वित्त की राशि अरबों में नहीं बल्कि खरबों में प्रदान की जानी चाहिए। भारत ने जलवायु वित्त पर दो वर्षीय कार्यनिष्पादन कार्यक्रम सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पेरिस करार के अनुच्छेद 9.1 के अंतर्गत विकसित देशों की जलवायु वित्तीय जिम्मेदारियों को मजबूती प्रदान की गई। इस पर सहमति बनी कि वर्ष 2035 तक अनुकूलन-वित्त को वर्ष 2025 के स्तर की तुलना में कम से कम तीन गुना बढ़ाने के प्रयास किए जाएँ। पक्षकारों ने विकासशील देशों द्वारा चिन्हित चुनौतियों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन कार्यक्रम को लागू करने पर भी सहमति व्यक्त की।

(ग) और (घ) भारत की जलवायु कार्रवाई का दृष्टिकोण इसके राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान और दीर्घकालिक निम्न-कार्बन विकास रणनीति द्वारा निर्देशित है और इन दोनों को यूएनएफसीसीसी को प्रस्तुत किया गया है। इनकी निगरानी यूएनएफसीसीसी और उसके पेरिस समझौते के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार की जाती है। निरंतर (एनआईआरएएनटीएआर) की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन पर शोध, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, जिसमें विज्ञान और नीतियों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए संधारणीय और जलवायु-प्रतिरोधी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया जाता है।

सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना(एनएपीसीसी) को लागू कर रही है, जो एक व्यापक नीतिगत ढाँचा है और इसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय आवास, ग्रीन इंडिया, मानव स्वास्थ्य, और जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इसके अलावा, 34 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने एनएपीसीसी के उद्देश्यों के अनुरूप राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। इसके अलावा, सरकार ने अनुकूलन और उपशमन दोनों के संबंध में भारत की कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कई योजनाएँ और कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। इन योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत कई क्षेत्रों में उचित कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें जल, कृषि, वन, ऊर्जा और उद्यम, संधारणीय गतिशीलता और आवास, अपशिष्ट प्रबंधन, चक्रीय अर्थव्यवस्था और संसाधन दक्षता आदि शामिल हैं। भारत ने घरेलू स्तर पर जलवायु परिवर्तन से सख्ती से निपटने के अलावा, वैश्विक जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए वैश्विक पहलें की हैं और इनका लगातार पोषण किया है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए), आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (सीडीआरआई) और उद्योग संक्रमण के लिए नेतृत्व समूह (लीडआईटी) जैसी बहुपक्षीय पहलें शुरू की हैं।

*****